इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2017—कार्तिक 26, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2017

सूचना

क्र. डी-15-58-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्निलिखित संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में---

- (1) नियम 2 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :--
 - ''(ग) ''किसान सड़क निधि'' से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव, मंडी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मंडी, उपमंडी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन तथा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिये संग्रहित रकम''.
- (2) नियम 3 के उपनियम (1) में शब्द ''बैंक ड्राफ्ट'' के स्थान पर शब्द ''बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण'' को प्रतिस्थापित किया जावे.

- (3) नियम 6 में उपनियम (1) में के पश्चात् उपनियम (2) एवं इसमें खण्ड निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
 - 6(2) किसान सड़क निधि का उपयोग :-
 - 2(क) : नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6(1) में उल्लेखित खाते में मंडी सिमितियों द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85 पैसे में से 58.50 पैसे (अट्ठावन दशमलव पचास पैसे) के मान से राशि ''प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव'' के लिये समय-समय पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जावेगी.
 - 2(ख): नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6(1) में उल्लेखित खाते में मंडी सिमितियों द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85 पैसे में से 2.50 पैसे (दो दशमलब पचास पैसे) के मान से राशि ''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि'' के लिये उपलब्ध कराई जावेगी. इस निधि से योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों को भुगतान के लिये समय-समय पर राशि उपलब्ध करायी जावेगी.
 - 2(ग) : नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6(1) में उल्लेखित खाते में मंडी सिमितियों द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85 पैसे में से 24 पैसे (चौबीस पैसे) के मान से राशि एवं नियम 6(1) के बैंक खाते में अर्जित ब्याज की राशि ''मंडी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मंडी, उपमंडी प्रांगणों की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन'' के लिये मंडी बोर्ड के द्वारा व्यय की जावेगी. इस राशि का उपयोग नियम (9) में उल्लेखित ''बोर्ड निधि से निर्माण कार्य करने की प्रक्रिया'' के अनुसार किया जावेगा. इस राशि से व्यय की सम्परीक्षा, मंडी बोर्ड के विभागीय सम्परीक्षकों द्वारा की जावेगी.
- (4) नियम नियम 7 के उपनियम (2) में खण्ड (ख-क) में के पश्चात् निम्नलिखित अंतः खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
- (ख-ख) : बोर्ड के नियम 4 के खण्ड (ख) के अधीन कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि में, मंडी सिमिति द्वारा जमा की गई रकम अर्थात् 15 पैसे (पन्द्रह पैसे) में से 1.50 पैसा (एक दशमलव पचास पैसा) के मान से राशि ''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि'' में जमा किये जावेंगे तथा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों को भुगतान के लिये समय-समय पर निधि से राशि उपलब्ध करायी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. एस. धुर्वे,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2017

क्र. डी-15-58-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. एस. धुर्वे,** उपसचिव.

Bhopal, the 17th November 2017

NOTICE

No. D-15-58-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government

hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules 2000 the same have been published as required by sub-section (1) of Section 79, namely:—

AMENDMENT

In the said rules-

- (1) In rune (2) in place of clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(c) Farmer Road Fund means the amount collected for the construction and maintenance of rural roads by Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, construction and augmentation of basic infrastructure of market area, roads and essential infrastructure of market and sub market yards and Mukhya Mantri Krishak Jeevan Kalyan Scheme."
- (2) In rule (3) after sub-rule (1), the words "Bank draft' shall be substituted by the words "Bank draft/Electronic transfer".
- (3) In rule (6) after the sub-rule (1) the following sub-rule (2) and its sub sections shall be inserted, namely:—
 - 6 (2) Use of Farmer Road Fund ::
 - 2(A): As per Rule 4 section (a), the money deposited i. e. 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 58.50 paisa (Fifty eight and a half paisa) shall be released from time to time to "Madhya pradesh Rural Road Development Authority" for the purpose of "Rural road construction and maintenance".
 - 2(B): As per Rule 4 section (a), the money deposited i. e. 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 2.50 paisa (two and a half paisa) shall be made available for "Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme, Fund" and the money from the said Fund shall be used for the beneficiaries of the scheme from time to time.
 - 2(C): As per Rule 4 section (a), the money deposited i. e. 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 24 paisa (twenty four paisa) and the money of interest accrued in the bank accounts of Rule 6(1) shall be used by the mandi Board for "Construction and augmentation of basic infrastructure of market area, roads and essential infrastructure of market and sub market yards" The money shall be used as per the procedure laid down in Rule (9) i. e. "Procedure for doing construction work from Board Fund" and the audit of the expenditure shall be carried out by the statutory auditors of the Mandi Board.
- (4) In Rule (7) sub rule (2) in place of clause (b-b) the following shall be substituted, namely :-
 - (b-b) From the money deposited i. e. 15 paisa (fifteen paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule (4) clause (b), i.e. the "Agricultural Research and Infrastructure Development Fund," an amount at the rate of 1.5 paisa (one and a half paisa) shall be deposited in "Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme, Fund and the money deposited in the Fund would be used from time to time for the beneficiaries of the Scheme.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B. S. DHURVE, Dy. Secy.